भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 978

जिसका उत्तर 05.02.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट

978. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मृत्युकारी और गंभीर रूप से हताहत करने वाली दुर्घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण सड़कों पर ब्लैक स्पॉटों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो देश भर में कुल कितने ब्लैक स्पॉटों की पहचान की गई है और अब तक पूरे किए गए दीर्घकालिक सुधार उपायों का राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहचान किए गए ब्लैक स्पॉट की समस्या को हल करने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है और यदि हां, तो प्रत्येक ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए क्या अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) ब्लैक स्पॉट को समय पर खत्म करने और सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और उसमें जिम्मेदारी तय करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समीक्षा तंत्र और समन्वय प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त दुर्घटना रिपोर्टों के आधार पर, मृत्यु और गंभीर चोटों से जुड़ी कुछ दुर्घटनाओं की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित करता है।

(ख) राज्य-वार विवरण अनुलग्नक पर संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) ऐसे ब्लैक स्पॉट पर तत्काल अल्पकालिक उपायों के लिए सरकार ने सड़क चिह्नों, संकेतकों, दुर्घटना अवरोधकों (क्रेश बैरियर), सड़क स्टड, सीमांकन (डीलिनिएटर), अनधिकृत मध्य मार्ग (मीडियन) के खुले भाग को बंद करने, यातायात को व्यवस्थित करने के उपायों आदि जैसे कदम उठाए हैं। स्थल (साइट) जांच के अनुसार ऐसे ब्लैक स्पॉट पर दीर्घकालिक उपाय जैसे सड़क ज्यामिति में सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे स्पॉट का चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि का भी स्थायी सुधार उपायों के रूप में किए जाते हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें काफी समय लगता है। इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) (पूर्ववर्ती आईआरएडी - इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस) विकसित किया गया है, जो देश भर में सड़क दुर्घटना डेटा की रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार है। यह अधिकारियों को विश्लेषण के माध्यम से दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करने, निवारक उपायों को लागू करने, किए गए कार्यों की निगरानी करने और सड़क दुर्घटना दावों की कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

अनुलग्नक

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट' के संबंध में श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे, श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर, श्री नरेश गणपत म्हस्के और श्रीमती भारती पारधी के द्वारा दिनांक 05.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 978 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लैक स्पॉट	दीर्घकालिक सुधार पूर्ण
गुजरात	386	168
ओडिशा	597	378
तमिलनाडु	1661	613
महाराष्ट्र	550	267
पश्चिम बंगाल	1339	803
दिल्ली	335	181
झारखंड	279	120
कर्नाटक	1278	701
केरल	701	123
गोवा	50	26
आंध्र प्रदेश	1060	343
तेलंगाना	1535	516
बिहार	306	64
असम	285	77
मिजोरम	1	1
मेघालय	56	23
नागालैंड	71	64
सिक्किम	16	16
मणिपुर	19	14
त्रिपुरा	29	12
अरुणाचल प्रदेश	9	0
उत्तराखंड	110	80
पंजाब	1407	463
हरियाणा	124	58

चंडीगढ़	7	0
मध्य प्रदेश	596	225
उत्तर प्रदेश	2210	540
जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	224	62
हिमाचल प्रदेश	232	199
छत्तीसगढ़	338	245
राजस्थान	727	265
अंडमान और निकोबार	4	2

*****